

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1161
01 दिसम्बर, 2014 को उत्तर के लिए

लौह-छर्चा निर्माण संयंत्र की स्थापना

1161. कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) की झारखंड स्थित उसके आरक्षी गुवा खनन क्षेत्र में लगभग 3000 करोड़ रु के निवेश सहित 4 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के लौह-छर्चा निर्माण संयंत्र की स्थापना करके इसका प्रचालन-क्षेत्र विस्तारित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संयंत्र के कब तक काम शुरू करने की संभावना है;

(ग) गुवा खनन क्षेत्र से 'सेल' की लौह-अयस्क आवश्यकता की कितनी पूर्ति हो सकेगी; और

(घ) क्या लौह-अयस्क खनन के सह-उत्पाद के रूप में निकलने वाला पतला कीचड़ उस क्षेत्र में पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारकोपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री

श्री विष्णु देव साय

(क) से (ग): जी हाँ। क्रशिंग प्लांट, डाउनहिल कनवेयर, बेनिफिशिएशन प्लांट और पैलेट प्लांट मोड्यूल वाले मुख्य पैकेज के लिए ठेका पत्र (एलओए) अप्रैल, 2014 में प्रदान कर दिया गया है और इसे 40 महीनों में पूरा किया जाना है। विस्तार के पश्चात् गुआ खानों द्वारा कुल 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) उत्पाद का उत्पादन करना है, जिसमें 6 एमटीपीए लौह अयस्क लम्प एवं फाइन्स और 4 एमटीपीए पैलेट शामिल है।

(घ): सेल खानों में सृजित होने वाले स्लाइम को पर्यावरण स्वीकृति के अनुमोदन की शर्तों एवं निबंधन के अनुसार निर्दिष्ट टेलिंग पॉण्ड में स्टोर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सेल 45% से कम राखांश वाले स्लाइम को खान सुधार के रूप में उस खान पिट में वापस पम्प करने की योजना बना रहा है जो कि इस्तेमाल में नहीं है।
